



INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)


An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

“उत्तराखण्ड में घटती कृषि भूमि और बढ़ता पलायन, जनपद नैनीताल के सन्दर्भ में” 2000 से 2020

"DECREASING AGRICULTURE LAND AND INCREASING MIGRATION IN UTTARAKHAND"

REFERENCE OF NAINITAL DISTRICT - 2000 TO 2020

डॉ० नीलम कनवाल जलाल
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र
लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय
हल्द्वी, जिला – नैनीताल, उत्तराखण्ड



उत्तराखण्ड में घटता कृषि भूमि का रकबा

“वर्ष 2000 से 2020 के सन्दर्भ में”

Abstract (सार)

देवभूमि उत्तराखण्ड एक कृषि प्रधान पहाड़ी राज्य है। इसका गठन 9 नवम्बर 2000 को विशेष सम्भावनाओं के साथ किया गया। इसका क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किमी० है। इसमें से 92.57 प्रतिशत भाग पर्वतीय और 7.43 प्रतिशत भाग मैदानी है। राज्य गठन के बाद से पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल लगातार कम हो रहा है। 20 सालों में पहाड़ों में 29,970 हेक्टेयर कृषि भूमि घटी है।

प्रदेश में 6.48 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में कृषि की जा रही है। इसमें 3.50 लाख हेक्टेयर पर्वतीय और 2.98 लाख मैदानी क्षेत्र के अधीन आता है। वर्ष 2000–2001 में पर्वतीय क्षेत्रों में कुल 5,17,628 हेक्टेयर कृषि भूमि थी, जो वर्ष 2019–20 में घटकर 4,87,658 हेक्टेयर रह गई। अर्थात् 29,970 हेक्टेयर कृषि भूमि धीरे-धीरे कम हुई है। यह उत्तराखण्ड के लिए एक चिन्ता का विषय है।¹

Introduction (परिचय)

उत्तराखण्ड राज्य में खेती – आजीविका का स्रोत

उत्तराखण्ड राज्य पर्वतीय, मैदानी, नदियों व वनों का एक संवेदनशील प्रदेश है। इसकी विशेष सामरिक स्थिति, तिब्बत, नेपाल और चीन के सीधा सम्पर्क इसे बहुत संवेदनशील बनाता है। इसकी कुल भूमि का 65 प्रतिशत भाग वन विभाग के पास है। जिसे वन भूमि या जंगल कहते हैं। सांख्यिकीय आँकड़ों के आधार पर वर्ष 2008–09 तक 13 प्रतिशत क्षेत्र में कृषि होती थी, अर्थात् राज्य गठन के समय ही 7.70 लाख हेक्टेयर भूमि पर उपज होती थी। किन्तु यह धीरे-धीरे वर्ष 2020 में 6.48 लाख हेक्टेयर तक सिमट गई। इन बीस वर्षों में राज्य में 1.22 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि यहाँ के मूल निवासियों के हाथों से निकल गई है। इस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 14.25 लाख परिवार रह रहे हैं। इसमें 8.81 लाख (61.84 प्रतिशत) परिवारों की आजीविका खेती किसानों पर निर्भर है। उत्तराखण्ड राज्य दो मण्डलों में विभक्त है— गढ़वाल मण्डल तथा कुमाऊँ मण्डल।

उत्तराखण्ड दो भौगोलिक क्षेत्रों में विभक्त है— पर्वतीय तथा मैदानी। पर्वतीय क्षेत्र में 3.50 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर उत्पादन किया जाता है, किन्तु इस भूमि में धीरे-धीरे कमी आती जा रही है। कृषि भूमि के साथ ही बंजर भूमि में भी कमी होती जा रही है। यहाँ के पर्वतीय क्षेत्र एक प्रकार के आदिवासी और भौटांतिक क्षेत्र हैं। जहाँ मात्र तीन प्रतिशत कृषि भूमि है। राज्य में मात्र 49.85 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में ही सिंचाई सुविधा है, अर्थात् यहाँ 3.23 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर सिंचाई की जाती है। यहाँ की कुल

आबादी अर्थात् 61.84 प्रतिशत लोगों की आजीविका कृषि, पशुपालन, वनोत्पादन एवं फल उत्पादन आदि से चलती है।

उत्तराखण्ड की कृषि जोतें

राज्य गठन के समय साल 2000-01 में प्रदेश में 12,25,556 हेक्टेयर भूमि पर खेती होती थी। जो वर्ष 2018-19 में घटकर 10,29,014 हेक्टेयर हो गई। उत्तराखण्ड राज्य में कृषि जोतों का प्रकार बहुत छोटा है। पर्वतीय क्षेत्र में काश्तकारों की भूमि छोटे-छोटे टुकड़ों में दूर-दूर फैली हुई है। इसके बीच में भूमि बेनाम या सरकारी भूमि भी होती है। जिससे काश्तकारों को भूमि की जुताई, सिंचाई, खेती और प्रबन्धन में बहुत परेशानी होती है।



यहाँ पर छह लाख से अधिक सीमान्त कृषक और लगभग दो लाख छोटे किसान हैं। इनके पास केवल एक से दो हेक्टेयर कृषि भूमि है। यहाँ पर केवल 100 से अधिक बड़े जोत वाले कृषक हैं, जिनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक कृषि जोते हैं। यहाँ मध्यम श्रेणी के कृषकों के पास 3,44,000 हेक्टेयर भूमि, सीमान्त कृषकों के पास 2,42,000 हेक्टेयर कृषि भूमि और छोटे कृषकों के पास केवल 2,21,000 हेक्टेयर कृषि भूमि है। उपजाऊ माने जाने वाले गढ़वाल के मैदानी जिलों हरिद्वार और देहरादून में भी कृषि भूमि में कमी आई है। राज्य बनने के बाद शहरीकरण को इसका मुख्य कारण माना जाता है।

उत्तराखण्ड राज्य में खेती योग्य भूमि के साथ ही बंजर भूमि में भी तेजी से कमी आ रही है। वर्ष 2000-2001 में राज्य में कुल 3,10,244 हेक्टेयर बंजर जमीन थी, जो साल 2018-19 में घटकर 2,48,963 हेक्टेयर रह गई है। यहाँ बंजर जमीन का क्षेत्रफल गढ़वाल और कुमाऊँ दोनों मंडलों में घट रहा है। पूरे उत्तराखण्ड में कृषि भूमि का क्षेत्रफल जनपदों के अनुसार निम्न प्रकार है :-

वर्ष 2001 से 2020 के बीच पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि भूमि का क्षेत्रफल

क्र०सं०	जिला	वर्ष (2001)	वर्ष (2018)
1.	देहरादून	79458	51830
2.	चमोली	51714	47184
3.	हरिद्वार	174527	160494
4.	पौड़ी	118560	64737
5.	रुद्रप्रयाग	33962	31345
6.	टिहरी	103122	73287
7.	उत्तरकाशी	44854	41013
8.	अल्मोड़ा	124022	97142
9.	बागेश्वर	43260	39876
10.	चंपावत	44568	25068
11.	नैनीताल	79860	67317
12.	पिथौरागढ़	81165	65331
13.	यूएस नगर	246484	264390
	योग	1225556	1026014

15-12-2020 अमर उजाला (मंगलवाल)

कुमाऊँ में घटता कृषि भूमि का क्षेत्रफल

उत्तराखण्ड में सबसे ज्यादा सीमान्त कृषक हैं। इनमें अधिकतर छोटी कृषि भूमि के स्वामी हैं। ये इनसे परम्परागत खेती के द्वारा जीविका उपार्जन करते हैं। उत्तराखण्ड के कुमाऊँ मण्डल में 7269 राजस्व ग्रामों में से 265 गाँव ऐसे हैं, जहाँ से लोग पूरी तरह पलायन कर गये हैं। पलायन के कारण पर्वतीय क्षेत्रों के 6034 राजस्व ग्रामों में अब केवल 18,232 हेक्टेयर सिंचित भूमि ही रह गई है, जबकि असिंचित भूमि का दायरा 2,68,176 हेक्टेयर तक पहुँच गया है।

कुमाऊँ के पर्वतीय क्षेत्रों में खेती मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। इसलिए समय पर वर्षा न होने या अतिवृष्टि के कारण लोग खेती से दूरी बना रहे हैं। इसी कारण कुमाऊँ के 83,883 हेक्टेयर कृषि भूमि पूरी तरह बंजर हो गई है। पहाड़ों की तुलना में तराई-भाबर के मैदानी इलाकों में केवल 863 हेक्टेयर भूमि ही असिंचित है। यहाँ 1,69,594 हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएँ हैं। कृषि सांख्यिकी की वर्ष 2015-16 की गणना के अनुसार पहाड़ों में सूखती खेती पलायन का एक बड़ा कारण बनता जा रहा है।

राज्य गठन के बाद ऊधमसिंह नगर जिला उन क्षेत्रों में आता है, जहाँ खेती के साथ औद्योगिकरण और नगरीकरण हुआ है। यहाँ का तराई वाला क्षेत्र धीरे-धीरे शहर से महानगर और कस्बे शहरों में तब्दील हो गए हैं। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार ऊधमसिंह नगर जनपद में कब्जे वाली कृषि भूमि बहुत थी, जिस पर कृषि कार्य तो होता था, लेकिन यह जमीन कब्जेदार के नाम पर नहीं थी। जिस कारण से यह सरकारी आँकड़ों में दर्ज नहीं थी। उत्तराखण्ड बनने के बाद इस तरह की जमीनों को कब्जेदारों के नाम पर करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। जिस वजह से पिछले 18 से 20 सालों में यहाँ पर कृषि भूमि का रकबा बढ़ा है। यह उत्तराखण्ड का एक मात्र जनपद है, जिसका कृषि क्षेत्रफल बढ़ा है।

वर्ष 2015-16 की कृषि गणना के आधार पर प्रदेश में कुल 8,81,305 कृषि जोत हैं। इसके तहत 7,47,320 क्षेत्रफल खेती योग्य भूमि के प्रयोग हेतु आता है। पर्वतीय क्षेत्रों में बिखरी कृषि जोत होने से 10 हेक्टेयर से अधिक जोतों की संख्या 888 है। यहाँ एक हेक्टेयर से कम कृषि जोतों की संख्या 659062 और दो हेक्टेयर से कम जोतों की संख्या 1,48,815 हेक्टेयर है। पहाड़ों में छोटे किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है, जिनकी आजीविका सिर्फ कृषि पर आधारित है।

कृषि क्षेत्र के तहत शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल

क्र०सं०	जिला	शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल
1.	देहरादून	35357
2.	चमोली	31250
3.	हरिद्वार	114077
4.	पौड़ी	44951
5.	रुद्रप्रयाग	19329
6.	टिहरी	50656

7.	उत्तरकाशी	28893
8.	अल्मोड़ा	68578
9.	बागेश्वर	22356
10.	चंपावत	15891
11.	नैनीताल	41498
12.	पिथौरागढ़	37209
13.	यूएस नगर	137743
	योग	647788

5 सितम्बर, 2021

नैनीताल जनपद के विकासखण्डों में घटती कृषि भूमि

नैनीताल जिला पूरे देश में पर्यटन के साथ ही स्वादिष्ट कृषि उत्पादों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के पर्वतीय सम्भाग में विविध प्रकार के अनाज तथा दालों व सब्जियों का उत्पादन होता है। “नैनीताल कुमाऊँ मण्डल के दक्षिण पूर्व में 28° और 30° उत्तरी अक्षांश और 70° तथा 80° पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है”। 6360 फिट की ऊँचाई पर बसे नैनीताल का क्षेत्रफल 2001 के अनुसार 4767 वर्ग किमी० है। यह जिला कुमाऊँ का मुख्यालय है। भौगोलिक दृष्टि से नैनीताल जनपद की जलवायु दो तरह की भू-संरचना वाले क्षेत्र में विभक्त है। पहला पर्वतीय क्षेत्र तथा दूसरा मैदानी क्षेत्र, कोसी, शारदा, गौला, दाबका तथा बौर यहाँ की जीवनदायिनी नदियाँ हैं।

नैनीताल के पर्वतीय सम्भाग में होने वाला अनाज जैसे गेहूँ, जौ, तथा महुवा बहुत ही स्वादिष्ट होता है, क्योंकि इनमें रासायनिक खादों का उपयोग कम होता है। सब्जियों में गोबी, गाजर, मूली, शलजम, टमाटर, मटर, बीन, प्याज, लहसन आदि अपने पहाड़ी स्वाद के लिये जानी जाती है। दालों में भट, गहत, मसूर, चना, उड़द, लोबिया, सेम का उत्पादन भले ही कम मात्रा में होता है, किन्तु इनमें पौष्टिकता बहुत अधिक होती है। इस पर्वतीय क्षेत्र में पायी जाने वाली मिट्टी में बजरी और मोटे कंकड़ आदि पाये जाते हैं, जो अनाज के पैदावार की दृष्टि से उपयुक्त मिट्टी नहीं होती है।

आर्थिक व्यवसाय हेतु कृषि भूमि का दोहन

जनपद नैनीताल का प्रतिवेदित क्षेत्रफल वर्ष 1998-99 के अनुसार 4,11,073 हेक्टेयर था। यहाँ वन भूमि का क्षेत्रफल 73.01 प्रतिशत है। बागवानी आदि के रूप में प्रयुक्त भूमि 3.96 प्रतिशत है। नैनीताल का रामगढ़ व मुक्तेश्वर क्षेत्र उद्यानों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। पलायनवाद के कारण यहाँ 6.52 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि बंजर पड़ी है। यहाँ चरागाह हेतु प्रयुक्त भूमि 0.29 प्रतिशत है। शुद्ध बोया गया

खेती का क्षेत्रफल मात्र 12.03 प्रतिशत है। इसमें 8.02 प्रतिशत एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र तथा 20.05 प्रतिशत सकल बोया गया क्षेत्र है। यहाँ खेती की जमीन दिन-प्रतिदिन घटती जा रही है।

“नैनीताल जनपद के कृषि भूमि में सबसे तीव्र गति से कमी (1967 हैक्टेयर) आयी है। वर्ष 2000-2001 में नैनीताल जनपद में 29,337 हैक्टेयर भूमि कृषि के अन्तर्गत थी। यह वर्ष 2011-12 अर्थात् 10 वर्षों के अन्दर घटकर 27,370 हैक्टेयर रह गयी।”

जनपद नैनीताल के विकासखण्डों में कृषि जोतों की संख्या

क्र०सं०	वर्ष/विकासखण्ड (2000 - 2001)	कुल जोतों की संख्या	क्षेत्रफल
1.	रामनगर	8923	14330
2.	कोटाबाग	4962	6609
3.	रामगढ़	4867	4611
4.	भीमताल	4205	3277
5.	बेतालघाट	7795	5433
6.	धारी	5069	5647
7.	ओखलकांडा	5143	5271
8.	हल्द्वानी	8371	12751
	योग ग्रामीण-नगरी	49335	57929
	योग जनपद	49335	57929

स्रोत - सांख्यिकी पत्रिका, कार्यालय अर्थ एवं संख्याधिकारी, प्रभाग-नैनीताल - 2000-2001

जनपद में विकासखण्डवार भूमि उपयोग

क्र०सं०	वर्ष/विकासखण्ड	कुल प्रतिवेदित क्षेत्र (हैक्टेयर में)
1	2016-17	408005.00
2	2017-18	408005.00
3	2018-19	408067.00

विकासखण्डवार

2018-19	हैक्टेयर में
रामनगर	21245.00
कोटाबाग	18462.00
रामगढ़	26086.00
भीमताल	21361.00
बेतालघाट	24930.00
धारी	24043.00
ओखलकाण्डा	29769.00

हल्द्वानी	22369.00
योग-ग्रामीण	188265.00
वन	217267.00
नगरीय	2535.00
योग जनपद	408067.00

स्रोत-सांख्यिकी पत्रिका, कार्यालय अर्थ एवं संख्याधिकारी, प्रभाग-नैनीताल-2018-19

जनपद नैनीताल में उपरोक्त प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार कृषि भूमि बहुत तेजी से घट रही है। यह भूमि मुख्य रूप से होटल, रिसोर्ट या बड़े व्यावसायिक भवनों के लिये उपयोग में लाये जा रही है। जिससे बेरोजगारी व पलायनवाद धीरे-धीरे बढ़ रहा है तथा यहाँ की कृषिगत अर्थव्यवस्था को सिकोड़ रहा है। यह भविष्य के लिए एक खतरा है।

शोध का उद्देश्य (Object)

1. अध्ययन के लिए चुने गये क्षेत्र की सामाजिक व आर्थिक संरचना का अध्ययन करना।
2. कृषि कार्यों को छोड़ने की वास्तविक वजह-शहरीकरण या दूसरे क्षेत्रों में निवास करना।
3. खेती योग्य भूमि को बेचकर यहाँ की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना।
4. बेची गयी भूमि से प्राप्त धन का किन क्षेत्रों में उपयोग किया गया, इसका अध्ययन करना।
5. कृषि भूमि के बेचने के कारणों में जैसे- कानूनी झगड़े, बंजर भूमि, जानवरों द्वारा फसलों को नष्ट करना या आधुनिक जीवन शैली को अपनाना। इन सभी घटनाओं का प्राथमिक स्तर पर अध्ययन करना।

शोध प्रविधि (Research Methodology)

कृषि भूमि के ह्रास की समस्या को शोध की सत्यता से वास्तविक रूप में जानने के लिये पूरे नैनीताल जनपद के 8 विकासखण्डों का प्राथमिक व द्वितीयक समकों द्वारा अध्ययन किया गया। विकासखण्ड के उन क्षेत्रों का अध्ययन किया गया जहाँ इन बीस वर्षों में कृषि भूमि को तेजी से व्यावसायिक भूमि में बदला गया है। कृषि भूमि को बेचकर अन्य कार्यों को अपनाया गया है।

विकासखण्ड के शोध हेतु 5 ग्रामसभाओं का चयन किया गया। शोध में उन ग्रामों को चुना गया जहाँ लोग पहले खेती करके जीवन यापन करते थे, किन्तु अब कृषि भूमि बेचकर होटल, रिसोर्ट या उद्योग खोल दिये गये हैं। चयनित ग्रामों से 20 परिवारों का चयन किया गया और इस प्रकार एक विकासखण्ड से 100 परिवारों का चयन किया गया। यह सूची, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण व मुख्य विकास अधिकारी, जिला अधिकारी तथा विकासखण्ड से प्राप्त की गयी। प्रत्येक ग्राम से 20 न्यादर्श परिवारों का

चयन "स्तरित निर्देशन" के आधार पर जैसे कि बड़े कृषक, लघु कृषक व सीमान्त कृषक, सिंचित, असिंचित भूमि आदि लिये गये।

प्राथमिक समकों का एकत्रीकरण

यह शोध मूलतः प्राथमिक समकों पर आधारित है। इनका एकत्रीकरण निर्मित प्रश्नावलियों के माध्यम से किया गया। जो ग्रामों के आधारभूत समकों से सम्बन्धित अनुसूचियों तथा परिवारों की अनुसूची के रूप में है। इनमें प्रत्यक्ष सर्वेक्षण, अप्रत्यक्ष अवलोकन और वाह्य साक्ष्य अवलोकन के द्वारा भी समकों का एकत्रीकरण किया गया। यह संकलन ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं के माध्यम से किया गया।

द्वितीयक समकों का एकत्रीकरण

द्वितीय समकों के संकलन में सबसे पहले जनपद के विकासखण्ड के कृषक परिवारों का विवरण, जिलाधिकारी कार्यालय नैनीताल, संख्याधिकारी कार्यालय नैनीताल, ग्राम विकास अभिकरण कार्यालय नैनीताल, तहसील कार्यालय विकासखण्ड से प्राप्त की गयी। उपरोक्त कार्यालयों से प्राप्त सूचना के आधार पर ही न्यादर्श परिवारों से प्रत्यक्ष रूप से सम्पर्क किया गया।

क्र०सं०	विकासखण्ड	ग्रामों की संख्या	चयनित परिवारों की संख्या	कुल चयनित परिवारों की संख्या
1	भीमताल	5	20	100
2	धारी	5	20	100
	कुल	10	40	200

कृषि सांख्यिकी प्रभाग, अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय के अनुसार वर्ष 2001-01 में राज्य में कुल कृषि योग्य भूमि 7.7 लाख हैक्टेयर थी। यह 18 से 20 वर्षों में घटकर 6.47 लाख हैक्टेयर रह गयी है। कृषि भूमि में तेजी से कमी पिछले 5 वर्षों में आयी है। यह कमी 50,000 हजार हैक्टेयर तक आयी है।

भूमि में कमी मैदानी क्षेत्रों के साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में भी आयी है। यह कमी 30,000 हजार हैक्टेयर तक आयी है। पहाड़ी इलाकों में भूमि सीमित होने के बावजूद तेजी से घट रही है। (सितम्बर-2021, टाइम्स ऑफ इण्डिया)


उत्तराखण्ड में कृषि भूमि घटने के मुख्य कारण निम्न हैं :-

राज्य की मुख्य समस्या पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाले पलायन की मार तथा जंगली-लावारिस पशुओं के आतंक के कारण पहाड़ी जिलों में कृषि रकबा साल दर साल घटता चला गया। उपजाऊँ माने जाने वाले मैदानी जिलों हरिद्वार और देहरादून में भी कृषि भूमि में कमी आई है। राज्य बनने के बाद बढ़े शहरीकरण को इसका कारण माना जाता है। लेकिन सिडकुल में उद्योगों की बाढ़ और जनसंख्या बढ़ने के


साथ कृषि भूमि में कॉलोनियाँ बनने से ऊधमसिंह नगर की कृषि भूमि में तीव्र गति से कमी आयी है। यह उत्तराखण्ड के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है।

मुख्य कारण इस प्रकार हैं—

1. उत्तराखण्ड में कृषि भूमि में कमी आने के मुख्य कारण कमजोर भूगर्भीय संरचना तथा लगातार आने वाली विकराल आपदाएँ हैं। हिमालय युवा और अस्थिर पर्वत है। अंधाधुंध निर्माण से इसमें विघटन हो रहा है। “वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जिओलॉजी के वैज्ञानिकों” ने वर्ष 2017 में केन्द्र और राज्य सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी थी, इसमें हिमालय क्षेत्र में अंधाधुंध तरीके से स्थापित हो रहे ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर रोक लगाने का सुझाव दिया गया था। **“अमर उजाला, 17 जून 2021, बृहस्पतिवार”**



आपदा से पहले रामबाड़ा। (फाइल फोटो)



आपदा के बाद रामबाड़ा। (फाइल फोटो)

2. प्रदेश में बढ़ते शहरीकरण के कारण कृषि रकबा घट रहा है। पर्यटन के लिए मशहूर जिलों की अधिकांश कृषि भूमि होटलों, रिजोर्ट के लिए लोग बेच रहे हैं। मैदानी क्षेत्रों में सीमित कृषि भूमि उद्योगों और अन्य व्यावसायिक उद्देश्यों के लिये बेची जा रही है। इसमें 30,000 हैक्टेयर की कमी वर्तमान समय में आयी है। **"8 September, 2021, Times of India"**
3. मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण लोग कृषि भूमि को आवासीय क्षेत्रों के लिये बेच रहे हैं। जिन क्षेत्रों में पहले आलू उत्पादन, गेहूँ की खेती, सब्जियों का उत्पादन व गन्ने की खेती होती थी, वहाँ अब फ्लैट और मल्टीप्लेक्स के गगनचुम्बी इमारतें दिखाई देने लगी हैं। शहरीकरण के कारण सिंचाई गूलों में कूड़ा, प्लास्टिक आदि कबाड़ आने से फसलें नष्ट हो रही हैं। जिससे खेती करने में परेशानी होती है। सरकार से सहायता नहीं मिलने से लोग जमीन बेच रहे हैं और पलायन करने के लिए मजबूर हैं।
4. उत्तराखण्ड में अंधाधुंध वनों के कटान से भी कृषि भूमि प्रभावित हुई है। अवैज्ञानिक तरीके से भूमि का उपयोग, सड़कों के निर्माण के लिये वनों का कटान, बांधों के निर्माण के लिये क्षेत्रों का अधिग्रहण आदि इन कारणों से भी कृषि रकबा घटा है।

5. पहाड़ों में जंगली जानवरों के द्वारा फसलों को नुकसान पहुँचाना, आदमखोर तेंदुए द्वारा मनुष्यों को मारना, इन घटनाओं के कारण भी पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि रकबा घटा है। लोग जान बचाने को शहरों की तरफ पलायन करने को मजबूर हैं, क्योंकि गाँव में जंगली पशुओं को मारना अपराध है।
6. उत्तराखण्ड में कृषि रकबे में कमी आने का अन्य कारण खाद और कीटनाशक महंगा होना भी है। खाद, पानी, डीजल, उर्वरक और कृषि यंत्र भी महंगे होने से किसान खेती की तरफ कम ध्यान दे रहे हैं। लगातार फसल उत्पादन कम होने के कारण भी किसान खेती से ज्यादा अन्य कारोबार पर ध्यान दे रहे हैं। वर्ष 2018 में क्षेत्रफल 5,00,230 हैक्टेयर से घटकर 2020-21 में 4,88,642 हैक्टेयर रह गया है। **“अमर उजाला, बृहस्पतिवार, 23-12-2021”**
7. उत्तराखण्ड में कृषि भूमि घटने में मौसम भी मुख्य घटक है। मौसम में बदलाव और शीतकालीन वर्षा में कमी से फसलों की बुआई के समय खेतों को पानी नहीं मिल पा रहा है। जिससे असिंचित भूमि में काश्तकार खेती करने से मुंह मोड़ रहे हैं। इससे इन इलाकों में असिंचित और बंजर भूमि का दायरा बढ़ रहा है।

कृषि भूमि को घटने से रोकने के सुझाव

उत्तराखण्ड की कृषि भूमि को बचाने के लिए प्राकृतिक आपदाओं से इनकी सुरक्षा करनी होगी क्योंकि हर साल आने वाली आपदाएँ कृषि भूमि को लील रही हैं।

यहाँ से होने वाले पलायन को रोकना जरूरी है क्योंकि पलायन के कारण कृषि भूमि भी बंजर हो रही है।

कृषि भूमि को बचाने के लिए जंगली पशुओं से इनकी घेराबन्दी व सुरक्षा करनी होगी। औद्योगीकरण को बंजर भूमि में स्थापित करना चाहिए ताकि कृषि भूमि संरक्षित रहे। रुद्रपुर पंतनगर की उपजाऊ भूमि सिडकुल को दिये जाने से बहुत अधिक कृषि भूमि का नुकसान हुआ है।

उत्तराखण्ड में बड़ी बाँध परियोजनाएँ, सड़क निर्माण आदि के कारण भूमि कटान हो रहा है। इससे भी कृषि भूमि का रकबा घट रहा है। सरकार को इस बारे में पुनर्विचार करना चाहिए ताकि पर्वतीय कृषि भूमि बची रहे।

खेती करने वाले कृषकों को फसलों के नुकसान होने पर सरकार ने आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध करानी चाहिए ताकि दुबारा वह पूरे मनोयोग से खेती करें।

बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए प्राकृतिक जल स्रोतों को व सिंचाई साधनों को संरक्षित करना चाहिए ताकि वर्षा न होने पर भी खेतों को पानी मिलता रहे।

राज्य बनने के बाद मैदानी इलाकों में गन्ने की खेती के रकबे में काफी कमी आई है। राज्य गठन के समय 1838 हैक्टेयर में गन्ना बोया जाता था, जो बाद में घटकर 207 हैक्टेयर हो गया है। इससे लोगों

का खेती के प्रति घटते रुझान का पता चलता है। इसे सरकार की सही नीतियों के द्वारा ही बढ़ाया जा सकता है।

निष्कर्ष

उत्तराखण्ड राज्य के गठन के बाद से पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल लगातार घटता जा रहा है। 20 सालों में पहाड़ों में 29,970 हैक्टेयर कृषि भूमि घटी है। लगातार कम हो रही कृषि भूमि को बचाने के लिए प्रदेश में सख्त भू-कानून बनाने की आवाज उठने लगी है। राज्य गठन के बाद अवस्थापना विकास और पलायन के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि का रकबा घटा है। परती भूमि (जिस पर पहले खेती नहीं होती थी) का क्षेत्रफल 1.07 लाख हैक्टेयर से बढ़कर 1.77 लाख हैक्टेयर हो गया है। सरकार की ओर से परती व बंजर भूमि को कृषि उपयोग में लाने का प्रयास किया जा रहा है। पहाड़ों में क्लस्टर आधारित खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

उत्तराखण्ड में 90 प्रतिशत जनसंख्या का आजीविका का मुख्य साधन कृषि है। राज्य में कुल खेती योग्य क्षेत्र मात्र 12,61,915 हैक्टेयर है जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 19 प्रतिशत है। यह भी धीरे-धीरे घटती जा रही है।

उत्तराखण्ड में प्राप्त स्रोतों के अनुसार कृषि क्षेत्रफल बीते 20 वर्षों में बहुत तेजी से घटा है। किन्तु नई कृषि पद्धति व उर्वरकों के प्रयोग से कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है। राजस्व विभाग की ओर से मिले कुमाऊँ मण्डल के अनुमानित आँकड़ों के अनुसार 2018-19 में उत्पादकता 24.96 क्विंटल प्रति हैक्टेयर थी, वहीं 2021 में यह बढ़कर 27.63 क्विंटल प्रति हैक्टेयर तक पहुँच गयी है अर्थात् उत्पादकता बढ़ी है, लेकिन वहीं 2018 में क्षेत्रफल 500230 हैक्टेयर से घटकर 2020-21 में 4,88,642 हैक्टेयर रह गया। **“23 दिसम्बर 2021, अमर उजाला दैनिक समाचार पत्र”**

उत्तराखण्ड में यदि कृषि भूमि को घटने से नहीं रोका गया तो यहाँ के परम्परागत अनाजों का अस्तित्व ही समाप्त हो जायेगा। इन अनाजों के अस्तित्व को बचाने के लिए यहाँ का कृषि रकबा को घटने से बचाना होगा। कृषि भूमि उत्तराखण्ड की रीढ़ है। इसे बचाना जरूरी है। उत्तराखण्ड के गाँव बचेंगे तभी यहाँ के शहरों की पताकी भी लहराएगी, क्योंकि जल, जंगल और जमीन उत्तराखण्ड राज्य की पहचान और जीवन का आधार है।

सन्दर्भ सूची Reference

1. उत्तरांचल सम्पूर्ण अध्ययन, डॉ० अशोक कुमार पाण्डे, पे0नं0-115
2. अमर उजाला, 5 सितम्बर, 2021
3. अमर उजाला, हल्द्वानी, नैनीताल, दिनांक 15 जुलाई 2021, संस्करण
4. अमर उजाला, हल्द्वानी, नैनीताल, दिनांक 5 सितम्बर, 2021, संस्करण
5. अमर उजाला, हल्द्वानी, नैनीताल, दिनांक 24 जुलाई, 2019, संस्करण
6. अमर उजाला, हल्द्वानी, नैनीताल, दिनांक 15 दिसम्बर, 2020, संस्करण
7. सांख्यिकी पत्रिका कार्यालय, अर्थ एवं संख्याधिकारी प्रभाग-नैनीताल 2000-2001
8. दैनिक जागरण, हल्द्वानी, नैनीताल, दिनांक 3 जनवरी, 2019, संस्करण
9. उत्तरांचल सम्पूर्ण अध्ययन, डॉ० अशोक कुमार पाण्डे, पे0नं0-115
10. सांख्यिकी पत्रिका कार्यालय, अर्थ एवं संख्याधिकारी प्रभाग-नैनीताल 2000-2001
11. Times of India 8 दिसम्बर, 2021
12. अमर उजाला, हल्द्वानी, नैनीताल, दिनांक 17 जून, 2021
13. अमर उजाला, हल्द्वानी, नैनीताल, दिनांक 23 दिसम्बर 2021
14. अमर उजाला, हल्द्वानी, नैनीताल, दिनांक 15 दिसम्बर 2020
15. सांख्यिकी पत्रिका कार्यालय, अर्थ एवं संख्याधिकारी प्रभाग- नैनीताल 2000-2001